न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
दूदू जिला जयपुर, राज0

श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत (आर0ए0एस0)
(पीठासीन अधिकारी)

अपील संख्या 15/2021

निर्णय दिनांक 05.01.2022

1 भोमाराम पुत्र तेजाराम जाति बैरवा निवासी गडूडा तहसील फागी जिला जयपुर राज0

– अपीलार्थी

बनाम

1 गंजानन्द पुत्र तेजाराम समस्त जाति बैरवा निवासी गडूडा तह0 फागी निवासी जयपुर राज0

2 राधाकिशन पुत्र तेजाराम

3 रामलाल पुत्र तेजाराम

4 तहसीलदार तहसील फागी जिला जयपुर राज0

– रेस्पोडेन्ट

अपीलार्थी अधिवक्ता हनुमान सहाय सिहाग रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता मुकेश चौधरी

अपील अर्न्तगत धारा 225 विरूद्व आदेश तहसीलदार फागी आदेश दिनांक 18.5.2015 मिसल संख्या 18 तहसीलदार फागी के द्वारा ग्राम गडूडा स्थित कृर्षि भूमि का तकासमा को निरस्त करने बाबत।

<u>निर्णय</u>

अपील अर्न्तगत धारा 225 आदेश तहसीलदार फागी विरूद्व आदेश दिनांक 18.5.2015 मिसल संख्या 18 तहसीलदार फागी के द्वारा ग्राम गडूडा स्थित कृर्षि भूमि का तकासमा को निरस्त किये जाने बाबत अपीलार्थी भोमाराम पुत्र तेजाराम जाति बैरवा निवासी गडुडा तहसील फागी जिला जयपुर के द्वारा पेश किया गया। जिसका संक्षेपसार इस प्रकार से है :–

1 अपीलार्थी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी भूमि वाके ग्राम गडूडा पलटवार हल्का नैनस्या भू0अभि0नि0 क्षेत्र नीमेडा तहसील फागी जिला जयपुर मे स्थित आराजी खसरा संख्या 729, 730, 775, 775/834, 777, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 791, 793, 795, 813, 814, 815, कुल किता 19 कुल रकबा 41 बीघा 07 बिस्वा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि का बंटवारा करवाने के लिए आपसी सहमति से राज0टी0 एक्ट की धारा 53 के तहत

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

तहसीलदार फागी के समक्ष दिनांक 18.5.2015 को कैम्प मे एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि हमारी खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन कर दिया जावें। जिस पर तहसीलदार फागी द्वारा तकासमा आदेश दिये जाने पर बाद तकासमा उक्त आराजी के नये नम्बर बने जो अपीलार्थी के हिस्से मे खसरा संख्या 778/4, 778/3, 775/2, 778/1, बने। चूंकि अपीलान्ट पढा लिखा व्यक्ति नही मात्र हस्ताक्षर करना जानता है। रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 3 पढे लिखे एंव चालाक व्यक्ति है इसलिये तकासमा में मौके के विपरित रंग भरवाकर अपीलान्ट की कब्जेशुदा भूमि को अपनी भूमि बताकर रंग भरवा लिया एंव अपनी मनमर्जी अनुसार तकासमा करवा लिया जबकि मौके व कब्जेनुसार आराजी खसरा संख्या 778 की मौके कब्जे के विपरित तरमीम कर दी गयी है। तकासमा में भी मौके कब्जे के विपरित रकबा कम ज्यादा कर दिया ग्रया। उक्त गलती की जानकारी अपीलान्ट को अभी दिनांक 10.01.2021 को रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट को धोखे से व मुगालते में रखकर करवाया गया तकासमा के अनुसार अपीलान्ट के कब्जे की भूमि से बेदखल करने की धमकी देने लगे और कहा कि हम तकासमा अनुसार ही कब्जा करेंगे तब अपीलान्ट ने जाकर तहसील फागी में तकासमा आदेश दिनांक 18.5.2015 की आदेश की नकलें दिनांक 13.1.2021 को प्राप्त हुई। तब जाकर अपीलान्ट ने उक्त जमीन से सम्बधित सभी कागजात निकलवाये एवं पढ लिखें व्यक्तियों को कागजात दिखाकर जानकारी की तो पता चला की रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने पटवारी हल्का से मिलीभगत कर अपने मनमर्जी से कुर्रेजात बनवाये गये है। इसलिये उक्त आदेश से व्यथित होने के कारण अपीलान्ट को न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

अपील के आधार :-

1 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फागी को आदेश विधि विधान व पत्रावली के तथ्यो के विपरित होने से निरस्तनीय है।

2. अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फागी द्वारा पारित निर्णय विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

3 तहसीलदार फागी द्वारा पारित आदेश कतई विधि विरूद्व है चूकिं उक्त तकासमा मे नक्शे कुर्रेजात के अनुसार रकबा कम ज्यादा है। नक्शे कुर्रेजात मे जो रंग भरा गया है। उसमें खसरा संख्या 775/5 का रंग भरा हुआ है। एवं खसरा संख्या 775/5 की काई जमाबन्दी नही बनी है। खसरा संख्या 776/1 मौके कब्जे के विपरित रंग भरा गया है। इसलिये भी अपीलाधीन आदेश खारिज किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

4 अपीलान्ट के हिस्से मे आये खसरा संख्या 776/1 का रकबा नक्शें मे 10 बिस्वा का रंग भरा गया है। जबकि कर्रेजात में 02 बिस्वा कर दिया गया है। जबकि अपीलान्ट मौके कटजे पर 10 बिस्वा भूमि पर काबिज है। नक्शे तरमीम में खसरा संख्या 777/4 को काफी बढा कर दिया गया है जो कब्जे के विपरित है। इसलिये भी उक्त तकासमा खारिज योग्य है।

5. अपीलान्ट उक्त आराजीयात खसरा संख्या 777/3 को आवासीय प्रयोजनार्थ करवा रखा है। जिसमें अपीलान्ट के मकान बने हुऐं है। उसमे अपीलान्ट के मकानों के सामने की भूमि रेस्पोडैन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने अपना हिस्से में रख ली। चुंकि वहॉ पर अपीलान्ट ने अपने मकान बना रखें है। इसलिये अपीलान्ट को भंयकर समस्या आ गयी चूकिं रेस्पोडेन्ट तकासमा अनुसार उक्त भूमि पर काबिज हो गये तो अपीलान्ट को भंयकर समस्या का सामना करना पडेगा। इसलिये भी उक्त आदेश खारिज किये जाने योग्य है।

6 उक्त तकासमा में रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट के कब्जें वाली अच्छी उपजाऊ व रोड से लगवा वाली भूमि रख ली है। अब मौके पर जबरन कब्जा करना चाहते है। इसलिये न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की है।

7 उक्त अपीलाधीन आदेश कैम्प में किया गया है जो जल्दी बाजी व आनन फानन में किया गया है वह बिना मौके की जॉच के पारित किया गया है। अपीलान्ट के 1 खाता के ही अलग अलग कुर्रेजात बनाकर पेश किये गये है। जबकि हम सब सहखातेदार थें एवं अलग अलग प्रार्थना पत्र पेश करवाकर पटवारी द्वारा कर्रेजात बनाकर कैम्प में पेश किये गये है जो कतई तकासमा के नियम 18-19 व 20 के प्रावधानों के विपरित होने से निरस्तनीय है। चूकिं बिना मौके कब्जें की जॉच किये ही अलग - अलग टुकडे कर तकासमा के नियमों का उल्लघंन किया गया है। इसलिये भी उक्त अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

8. यह है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.5.2015 की जानकारी अपीलार्थी को सर्वप्रथम दिनांक 13.01.2021 को उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने पर हुई। जब रेस्पोडेन्ट गण द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 10.01.2021 को कब्जे से बेदखल करने की धमकी दी तो अपीलार्थी ने दिनांक 13.01.2021 को उक्त तकासमा आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त की तब जाकर उक्त मौके के विपरित करवाये गये तकासमा की जानकारी हुई। जिसके बाद रूपया पैसे का इंतजाम कर कानूनी सलाह मशवा कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.5. 2015 से जानकारी दिनांक 13.01.2021 को जानकारी के अभाव में कण्डोन फरमाया जाकर अपील को जानकारी से अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील को गुण-अवगुण पर निर्णित करने का निवेदन किया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
[illegible]

अपीलार्थी ने अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है तथा अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर तहसीलदार फागी द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.5.2015 ,खारिज करने व तहसीलदार फागी को पारित आदेश की अनुपालना में किये गये इन्द्राज को निरस्त करने को निवेदन किया गया है।

रेस्पोडेन्ट को नोटिस भेजकर तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की और से मुकेश चौधरी एडवोकेट उपस्थित हुऐ।

अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा राजीनामा पेश किया गया। जिसे प्रार्थी के वकील हनुमान प्रसाद सिहाग व रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता मुकेश चौधरी द्वारा राजीनामा को तस्दीक किया गया।

हमने दोनों पक्षों व उनके अधिवक्ताओ को सुना तथा अपील के साथ प्रस्तुत संलग्न दस्तावेजो व राजनीमा का अवलोकन किया तथा मनन करने पर इस निष्कर्ष पहुँचे की प्रस्तुत अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाता है। तथा तहसीलदार फागी के आदेश दिनांक 18.05.2015 को खारिज किया जाता है एंव तहसीलदार फागी को आदेशित किया जाता है कि पूर्व दिनांक 18.5.2015 में पारित आदेश में किये गये इन्द्राज को निरस्त करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले में सुनाया गया।

(श्री राजेन्द्र सिह शेंखावत)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
दूदू